

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारी:- श्री कुलदीप सिंह शेखावत(आर.ए.एस.)

आर0सी0एम0एस:-2024 / 267

मुकदमा नम्बर:- 97 / 2024

दर्ज दिनांक: - 10.06.2024

निर्णय दिनांक: - 10.11.2025

मधु कंवर

बनाम

विवेन्द्र सिंह आदि

वकील वादिया: श्री पंकज कुमार जांगीड़

प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 13: एकपक्षिय कार्यवाही

प्रतिवादी संख्या 14: राजकीय पैरोकार

दावा बाबत घोषणार्थ, दुरुस्ती रिकार्ड, विभाजन

-:निर्णय:-

दिनांक:- 10/11/2025

वाद वादिया दिनांक 10.06.2024 को प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाकर तहसीलदार नवलगढ को मौका कमिश्नर नियुक्त किया गया एवं मुताबिक निर्णय पक्षकारान की मौजूदगी में कब्जे काश्त के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पालना प्रस्तुत करने बाबत आदेशित किया गया। तहसीलदार नवलगढ द्वारा विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक भू0अ0/2025/10026 दिनांक 21.10.2025 द्वारा प्रस्तुत करने पर बहस विभाजन प्रस्ताव पर श्रवण की गई। विभाजन प्रस्ताव पर कोई एतराज आपत्ति प्राप्त नहीं। अतः मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद को स्वीकार किया जाकर वादपत्र में अंतिम डिक्री जारी किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतित होता है।

-:आदेश:-

वाद वादिया मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 16.10.2025 को अंतिम डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 16.10.2025 मय नजरी नक्शा अंतिम निर्णय व अंतिम डिक्री का अभिन्न हिस्सा रहेगा। तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि उक्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार राजस्व रिकार्ड एवं राजस्व नक्शा में अमल दरामद किया जावे। अंतिम डिक्री पर्चा जारी हो।

(कुलदीप सिंह शेखावत)
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

निर्णय आज दिनांक 10/11/2025

को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कुलदीप सिंह शेखावत)
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

अंतिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ0 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ

पीठासीन अधिकारी:- श्री कुलदीप सिंह शेखावत(आर.ए.एस.)
आर0सी0एम0एस:-2024/267
मुकदमा नम्बर:- 97/2024

दर्ज दिनांक:
निर्णय दिनांक:

मधु कंवर

बनाम

विरेन्द्र सिंह आदि


दावा बाबत घोषणार्थ, दुरुस्ती रिकार्ड, विभाजन

दिनांक: 10/11/2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू न्ययालय श्री कुलदीप सिंह शेखावत आर0ए0एस उपखण्ड अधिकारी नवलगढ ब हाजिरी पक्षकारान मिनजानिब मुदई वल्द मिनजानिब मदयलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि :-

वाद वादिया मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 16.10.2025 को अंतिम डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 16.10.2025 मय नजरी नक्शा अंतिम निर्णय व अंतिम डिक्री का अभिन्न हिस्सा रहेगा। तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि उक्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार राजस्व रिकार्ड एवं राजस्व नक्शा में अमल दरामद किया जावे।

निज..-.....-..... मुबलिक -.....-..... दाबन.-.....-.....
खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह -.....-..... फीसदी आज की तारीख से तारीख
अदायगी तक -.....-..... का अदा करे। सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के
आज तारीख 10/11/2025 को जारी की गई।


(कुलदीप सिंह शेखावत)
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

कार्यालय तहसीलदार(भू.अ.)नवलगढ

क्रमांक / भू अ / 2025 / 10026

दिनांक 21/10/2025

प्रेषित : - श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय

नवलगढ

विशय :- उनवानी प्रकरण मधु कंवर बनाम विरेन्द्र सिंह आदि मु.न. 97/2024 में विभाजन प्रस्ताव भिजवाने बाबत ।

प्रसंग :- श्रीमान के पत्र क्रमांक / राजस्व / तहरीर / 24/750 दिनांक 11.12.2024 की पालना में ।

महोदय

उपर्युक्त प्रासंगिक विषयान्तर्गत निवेदन है माननीय न्यायालय के उनवानी प्रकरण मधु कंवर बनाम विरेन्द्र सिंह आदि मु.न. 97/2024 में निर्णय दिनांक 06.12.2025 की पालना में ग्राम पबाना तहसील नवलगढ का विभाजन प्रस्ताव तैयार कर श्रीमान की सेवामे सादर प्रेषित है ।

संलग्न : - मूल विभाजन प्रस्ताव (दो प्रति)

तहसीलदार (भू.अ.) नवलगढ

मौका रिपोर्ट
(विभाजन प्रस्ताव)

में अजय कुमार (नाम) तहसीलदार अजय कुमार, न्यायालय सहायक कलेक्टर/उपखण्ड अधिकारी, अजय कुमार के आदेश क्रमांक 12/11/24/750 दिनांक 11/12/24 की पालना में भूमि के विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु आज दिनांक 16/12/25 समय 11:00 बजे आराजी खसरा नम्बर-140, 166 वाके ग्राम अजय पटवार हल्का अजय पर श्री अजय कुमार नायब तहसीलदार / भू अभिलेख निरीक्षक / पटवारी के साथ मौके पर पहुंचा।

न्यायालय सहायक कलेक्टर/उपखण्ड अधिकारी, अजय कुमार में विचाराधीन प्रकरण संख्या-97/2024 के समस्त पक्षकारों को तहसील कार्यालय से नोटिस क्रमांक 7593-94 दिनांक 12/5/25 द्वारा जारी किये गये थे जिनकी तामील विधिवत रूप से करवायी गयी। समस्त पक्षकारों में से मौके पर निम्न पक्षकार उपस्थित थे :-

क्र.सं.	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	वादी/ प्रतिवादी
1.	मधुकंवर	पति देवराज	27	राजपूत	वादी

मधु

उपर्युक्त पक्षकारों की उपस्थिति में भूमि का मुआयना मौका किया गया एवं राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम-1955 के नियम-18 से 21 के अनुसार निम्न प्रकार से विभाजन प्रस्ताव तैयार किये गये :-

अजय कुमार
श्रीमानजी - वादी मधुकंवर पति देवराज सिंह का ख.न. 140
ख.न. 136 हैक्टर पर ही कब्जा है व सिद्धे ख.न. 153 हैक्टर असादी
अतः 0.117 हैक्टर भूमि ख.न. 166 में शामिल से ही छोड़ने की
सहमति की गई।

मधु
अजय कुमार

तहसीलदार (मू.अ.)
नवलगढ़
तहसीलदार (मू.अ.)
नवलगढ़
अजय कुमार

उक्त विभाजन प्रस्ताव मौके पर उपस्थित पक्षकारों और मौतबिरानों को पढ़कर सुनाये गये। मौके पर उपस्थित पक्षकारों ने पढ़, सुन एवं समझ कर निम्न प्रकार हस्ताक्षर किये :-

क.सं.	नाम	पिता का नाम	जाति	हस्ताक्षर	वादी/ प्रतिवादी.
1.	मधुकर	पिता देशराज	राजपूत	मधु	वादी

निम्न पक्षकारों ने विभाजन प्रस्ताव पढ़, सुनकर, समझ कर हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया :-

क.सं.	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	वादी/ प्रतिवादी.
-------	-----	-------------	------	------	---------------------

मौके पर अन्य मौतबिरान को भी उक्त विभाजन प्रस्ताव पढ़कर सुनाये गये और निम्न प्रकार हस्ताक्षर करवाये गये :-

क.सं.	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	पता/ मोबाईल नं..
1.	देशराज	पिता कल्याणसिंह	28	राजपूत	7378144832

इस प्रकार आज दिनांक 06/10/25 को यह मौका रिपोर्ट तैयार की गई है।

हस्ताक्षर
पटवारी
पं. मं.

हस्ताक्षर
भू. अ. निरीक्षक
वृत्त.....

हस्ताक्षर
ना. तह.
.....

हस्ताक्षर (म.म.)
तहसीलदार
.....

मोहम्मद मोहम्मद इस

गान - पलाना

म. द. पलाना

वारी का हिस्सा
 0.17 हेक्टर का
 इतिहासी -
 साक्ष्य
 166

वारी मंथ
 '10

मंथ

म. द. पलाना 8820
 06-08-25

म. द. पलाना
 06-08-25
 06/08/25

c-s

Handwritten signature

ताहसीलदार (म. द.)
 नवलगढ़

